[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2025 का विधेयक संख्या–12 एच०एल०ए०

हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन विधेयक, 2025

हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।

(2) यह 31 जनवरी, 2025 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2. हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 की धारा 3 के खण्ड (ii) की व्याख्या 2 में, "एक कैलेण्डर वर्ष में" शब्दों के स्थान पर, "संविदात्मक सेवा की एक वर्ष की अवधि के दौरान" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2024 के हरियाणा अधिनियम 17 की धारा 3 का संशोधन।

3. (1) हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन अध्यादेश, 2025 (2025 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है। निरसन तथा व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

i. हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 के तहत, सेवा की सुरक्षा का लाभ उन संविदात्मक कर्मचारियों को स्वीकार्य है, जिसने नियत तिथि अर्थात् दिनांक 15 अगस्त, 2024 को पूर्णकालिक आधार पर सरकारी संस्था में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 की धारा 3 (ii) के नीचे व्याख्या 2 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :—

व्याख्या 2.— नियोजन के वर्षों की संख्या की गणना के प्रयोजनों हेतू, किसी संविदात्मक कर्मचारी, जिसने एक कैलेण्डर वर्ष में कम से कम 240 दिन के लिए पारिश्रमिक प्राप्त किया हो, को सम्पूर्ण वर्ष के लिए कार्य किया गया समझा जाएगा,

ii. उपरोक्त प्रावधान से यह पता चलता है कि नियुक्ति के वर्षों की संख्या की गणना के प्रयोजन के लिए, एक संविदात्मक कर्मचारी जिसने एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 दिनों के लिए पारिश्रमिक प्राप्त किया है, उसे पूरे वर्ष के लिए कार्य किया गया समझा जाएगा।

iii. संविदात्मक कर्मचारियों ने अनुरोध किया कि नियोजन के वर्षों की संख्या की गणना के प्रयोजनों हेतू 240 दिन एक कैलेण्डर वर्ष की बजाए संविदात्मक सेवा की एक वर्ष की अवधि के दौरान गिने जाए अन्यथा यदि उनकी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि मई से दिसम्बर माह के मध्य है तो उनके कार्यभार ग्रहण करने के प्रथम कैलेण्डर वर्ष की सेवा नहीं गिनी जाएगी। इसी प्रकार, चालू वर्ष 2024 से कट—ऑफ तिथि 15 अगस्त, 2024 तक 227 दिन हैं, जिसके फलस्वरूप इन वर्षों में उनकी संविदात्मक सेवा 240 दिन नहीं हो सकती है।

iv. संविदात्मक कर्मचारियों का अनुरोध उचित होने के वजह से इस प्रयोजन हेतु दिनांक 28.12.2024 को मंत्रिपरिषद की बैठक में यह मामला विचारार्थ रखा गया था कि कैलेण्डर वर्ष में 240 दिन की शर्त को संशोधित कर एक वर्ष की संविदा सेवा अवधि में 240 दिन किया जाए। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया था।

v. इस प्रस्ताव को अधिनियम के माध्यम से लाने का प्रस्ताव था, किन्तु इसे विधान सभा के आगामी सत्र तक विलंबित करने से इन कर्मचारियों में संकट एवं अनिश्चितता बढ़ जाती, जिससे विभिन्न सरकारी कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना होती। इसलिए, इस संबंध में अध्यादेश 31 जनवरी, 2025 को अधिसूचित किया गया, अर्थात हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन अध्यादेश, 2025.

vi. प्रस्तावित हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन अधिनियम, 2025 का उद्देश्य इन कर्मचारियों के बीच संकट और अनिश्चितता को कम करना है, जिससे विभिन्न सरकारी कार्यों में संभावित व्यवधान उत्पन्न होते हैं।

इसलिए यह विधेयक है।

नायब सिंह,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 13 मार्च, 2025

डॉ० सतीश कुमार,
सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 13 मार्च, 2025 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबंध

हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) 2024 के अधिनियम संख्या 17 से उद्धरण

x x x x x x

धारा 3 के खंड (ii) की व्याख्या 2 में

नियोजन के वर्षों की संख्या की गणना के प्रयोजनों हेतु, किसी संविदात्मक कर्मचारी, जिसने एक कैलेण्डर वर्ष में कम से कम 240 दिन के लिए पारिश्रमिक प्राप्त किया हो, को सम्पूर्ण वर्ष के लिए कार्य किया गया समझा जाएगा,

किन्तु इसमें वह कर्मचारी शामिल नहीं होगा,–

(i) जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा भागतः या पूर्णतः भुगतान वाली केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन नियोजित किया गया हो, या

(ii) जिसे मानदेय आधार पर नियोजित किया गया हो, या

(iii) जिसे सरकारी संस्था द्वारा अंशकालिक आधार पर की गई सेवा के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया गया हो, या

(iv) जिसने नियत तिथि को अठावन वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, या

(v) जिसकी सेवा इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि को या से पूर्व समुचित प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी गई हो या उसे हटा दिया गया हो।

x x x x x x

11734—H.V.S.—H.G.P., Pkl.